प्रारुप–30.2

परियोजना का नामः–कोसी नदी में उपखनिज चुगान कार्य।
कार्यालय उप जिलाधिकारी, रामनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, रामनगर

उपखण्ड रामनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत रामनगर रेंज की कोसी नदी में उपखनिज चुगान हेतु 181.00 है0 (181.00 है0 आरक्षित वन भूमि 0.00 है0, 0.00 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि वन भूमि 0.00 है0) का उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति 'और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रामनगर) की दिनांक 30/11/2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री गौरव चटवाल, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–श्री गौरव चटवाल, उपजिलाधिकारी रामनगर – अध्यक्ष
2–श्री शिशपाल सिंह रावत, उप प्रभागीय वनाधिकारी–सदस्य
3–श्रीमती नीलम ज्योति, सहायक समाज कल्याण अधिकारी–सदस्य/सचिव
4–श्रीमती कमला देवी ——बी0डी0सी0 क्षेत्र जस्सागांजा –सदस्य
5–श्री विजय कुमार ——बी0डी0सी0 क्षेत्र दयारामपुर टाण्डा –सदस्य
6–श्री सुनन्दा सिंह ——बी0डी0सी0 क्षेत्र कन्दलाथारी –सदस्य
7–श्रीमती कविता बिष्ट ——बी0डी0सी0 क्षेत्र पूछड़ी रामनगर –सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर रेंज के अन्तर्गत कोसी नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 181.00 है0 वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड रामनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत रामनगर रेंज की कोसी नदी में उपखनिज चुगान परियोजना के निर्माण हेतु 181.00 है0 वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – रामनगर
जनपद – नैनीताल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – रामनगर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग,
रामनगर (नैनीताल)।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
रामनगर

क्षेत्र पंचायत सदस्य

प्रभागीय प्रबन्धक खनन
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
रामनगर (नैनीताल)

1– कमला देवी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत जस्सागांजा
वि० ख० रामनगर (नैनीताल)

2– विजय कुमार
क्षेत्र पंचायत सदस्य
दयारामपुर टाण्डा
वि०ख० रामनगर (नैनी०)

3– सदस्य
क्षेत्र पंचायत कन्दला थारी
वि० ख० रामनगर (नैनीताल)

4– कविता बिष्ट
क्षेत्र पंचायत सदस्य
पूछड़ी–रामनगर

Scanned with CamScanner